न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 487/2015
दायर दिनांक :— 01/02/2022
निर्णय दिनांक :— 01.02.2022

उनवान

1. भैरूलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मु. मोहनीदेवी पत्नी शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
2. सुखलाल पिता दौलतराम ब्राहम्ण निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :— 1. श्री गोपाल दाधीच
2. पैरोकार सरकार

—:निर्णयः :—

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:—

यह है कि मौजा चोरवड़ी पटवार हल्का चोरवड़ी तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 273 में दर्ज आ.न. 1118 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1809/1133 रकबा 0.02 है., खाता संख्या 275 आ.सं. 1133 रकबा 0.06 है., आ.सं. 1803/1132 रकबा 0.06 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.18 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवानें हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्[illegible]डा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी [illegible] बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दि[illegible] 04.07.2016 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मि[illegible] एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 15:45:21 IST
Reason: SelfAttested

की बहु पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा हैक्टे. में
1	श्री भैरूलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण सा. देह	1133 1803/1132 1118 मी.	0.0350 0.0300 0.0400
2	श्री सुखलाल पिता दौलतराम ब्राहम्ण सा. देह	1133/1 1803/1132/1	0.0250 0.0300
3	श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी शंकरलाल ब्राहम्ण सा. देह	1809/1133/1	0.02

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.25 15:45:21 IST
Reason: SelfAttested